

# पूर्वदशम (कक्षा 1-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्रता

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति छात्र-छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है -

- आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो तथा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा विद्यालयों में अध्ययनरत न हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित किये गये आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि हेतु छात्रवृत्ति सॉफ्टवेयर में प्राविधान किये गए हैं। किसी छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में आधार संख्या अंकित करने पर सम्बंधित की आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति मानी जायेगी।
- यदि आधार संख्या के सत्यापन में आधार वेलिडेशन असफल रहता है तो सम्बंधित छात्र-छात्रा का आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा सम्बंधित छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति आवेदक छात्र-छात्रा यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बंधित का छात्रवृत्ति आवेदन में नाम एवं आधार में अंकित नाम एक समान हो। यदि आवेदक के अन्य अभिलेखों में अंकित नाम तथा आधार में अंकित नाम में भिन्नता हो तो आधार में अंकित नाम स्वीकार्य होगा।
- आवेदक छात्र/छात्रा के द्वारा अपना या अभिभावक का मोबाईल नंबर देना आवश्यक है। छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित किया गया मोबाईल नंबर एक ही परिवार के एक से अधिक छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1-8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अन्य पिछड़ी जाति के कक्षा 3-8 में छात्र-छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु० 44500 निर्धारित है।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय रु० 2,00,000 निर्धारित है। अन्य पिछड़ी जाति के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु० 44,500 निर्धारित है।
- छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा अथवा अभिभावक के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० खाते में ऑनलाइन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
- यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1-8 की कक्षाओं में सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को किया जाता है, तदोपरान्त अशासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
- अन्य पिछड़ी जाति के पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 3, 4 तथा 5 में प्रति कक्षा केवल एक-एक छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार कक्षा 6 में 2 छात्रों तथा कक्षा 7-8 में 3-3 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुये अवरोही क्रम में किया जाता है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु० 600 तथा कक्षा 6 से 8 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर रु० 720 है। अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम योजनान्तर्गत कक्षा 3 से 5 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु० 600 तथा कक्षा 6 से 8 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर रु० 720 है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु० 1500 तथा छात्रावास में निवासरत कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को धनराशि रु० 3500 वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। अन्य पिछड़ी जाति पूर्वदशम योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु० 1000 है।

दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है -

- आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो तथा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा विद्यालयों में अध्ययनरत न हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित किये गये आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि हेतु छात्रवृत्ति सॉफ्टवेयर में प्राविधान किये गए हैं। किसी छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में आधार संख्या अंकित करने पर सम्बंधित की आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति मानी जायेगी।
- यदि आधार संख्या के सत्यापन में आधार वेलिडेशन असफल रहता है तो सम्बंधित छात्र-छात्रा का आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा सम्बंधित छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति आवेदक छात्र-छात्रा यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बंधित का छात्रवृत्ति आवेदन में नाम एवं आधार में अंकित नाम एक समान हो। यदि आवेदक के अन्य अभिलेखों में अंकित नाम तथा आधार में अंकित नाम में भिन्नता हो तो आधार में अंकित नाम स्वीकार्य होगा।
- आवेदक छात्र/छात्रा के द्वारा अपना या अभिभावक का मोबाईल नंबर देना आवश्यक है। छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित किया गया मोबाईल नंबर एक ही परिवार के एक से अधिक छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया जा सकता है।
- कक्षा 1-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रु० 24000 निर्धारित है।
- छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा अथवा अभिभावक के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० खाते में ऑनलाइन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
- यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1-10 की कक्षाओं में सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को किया जाता है, तदोपरान्त अशासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
- दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु० 600 तथा कक्षा 6 से 8 में धनराशि रु० 960 है।
- दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 10 में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर धनराशि रु० 1700 है।